[illegible] श्री [illegible] [illegible] निवासी [illegible]

1. [illegible] 50 साल पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी [illegible]
[illegible] बाडी तह0 बाडी

बनाम

1. [illegible] कुमार पुत्र तुलाराम जाति कोली निवासी मौहल्ला बारहमासी धर्मशाला के आगे बाई [illegible] बाडी तह0 बाडी
2. [illegible] पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी मौहल्ला हथियापौर कस्वा बाडी तह0 बाडी हाल निवासी [illegible] सिद्ध कालोनी पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली
3. [illegible] सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी बहैसियत लैण्डहोल्ड

दावा दावत

मुकदमा नं. 02/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वय [illegible] श्री बब्बूसिंह परमार एड0 मिनजानिय मुद्दई श्री

मिनजानिय मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है दावा वादी मौका रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिकी किया जाकर वादी व प्रति0 के नाम तद्नुरूप रिकार्ड पटवार ग्राम कस्वा बाडी नं0 2 तह0 बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. महेश पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी सेड माता विदरपुर रोड बाडी खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
5757/1	0–09	न0प्र0	1.71

कौम कोली निवासी बाई का बाग बाडी व पूरनसिंह

2. मुकेश कुमार पुत्र तुलाराम हि0 18/21 कौम कोली निवासी बाई का बाग बाडी व पूरनसिंह पुत्र सुम्मेरा हि0 3/21 कोम जाटव सा0देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
5757/2	1–01	न0प्र0	3.99

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्स में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिकी का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे।

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह .... मुबलिग .... बाबत .... को अदा करें। नीज .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक ....

आज तारीख 30 माह 10 साल 2017 व दस्तखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के जारी की गई।

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी बाडी
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी
बाडी (धौलपुर)

मुहर	रुपया	न.पै.	मुद्दायला	रुपया	न.पै.
मुद्दई			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वकालतनामा			महनताना वकील) रु0		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनतनामा वकील) रु0			फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय हुक्मनामा		
फीस कमिश्नर			मुतफरिक		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मीजान		
मुतफरिक					
मीजान					

मुकेश कुमार

नि. महेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री जी0एल0 मीना (आर0ए0एस0)

उनवान

महेश बनाम मुकेश

1. महेश आयु 50 साल पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी सेडमामा के पास विदरपुर रोड कस्बा बाडी तह0 बाडी

वादी :–

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र तुलाराम जाति कोली निवासी मौहल्ला बारहमासी धर्मशाला के आगे बाई का बाग कस्या बाडी तह0 बाडी
2. पूरन पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी मौहल्ला हथियापौर कस्वा बाडी तह0 बाडी हाल निवासी स्वंय सिद्ध कालोनी पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली

प्रतिवादीगण :–

3. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी बहैसियत लैण्डहोल्डर

तरतीवी प्रतिवादी :–

उपस्थित वादी के वकील – श्री बच्चूसिंह परमार एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0 अधि0

दिनांक :– 30.10.17

दावा सं. 02/2017

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :– आराजी ख0नं0 5757/1–10 वाके कस्बा बाडी नं0 2 तह0 बाडी में स्थित है। विवादित आराजी में वादी 9/30 हिस्सा व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 18/30 व प्रति0 सं0 2 हिस्सा 3/30 का खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी को वादी व प्रति0 ने संयुक्त रूप से बराबर बराबर भागों में बांटकर वादी को हिस्सा व दिशा उत्तर की ओर जो आम रास्ते पर 60 फुट चौडा व 205 फुट गहरा है व शेष भाग वदिशा पश्चिम व पूर्व की ओर प्रति0 सं0 1 व 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी का अभी राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं हुआ है। छोटी छोटी बातों को लेकर अब आये दिन वादी व प्रति0 के मध्य झगडा होता रहता है। कभी प्रति0 वादी की फसल को उजाड देते है तो कभी वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वादी का प्रति0 के साथ संयुक्त काश्त करना संभव नहीं रहा है। दिनांक 30.12.2016 को वादी को अपने हिस्से की आराजी की देखभाल कर रहा था कि तभी प्रति0 वादी के पास आये और धमकी दी कि हम तुझे विवादित आराजी पर काश्त नहीं करने देंगे। विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर तुझे आराजी से बेदखल करेंगे। तब वादी ने प्रति0 से बंटवारा करने कहा तो प्रति0 ने बंटवारा करने से इंकार कर दिया। उपरोक्त हालातों में वादी को यह आवश्यक हो गया है कि वह दावा दायर कर विवादित आराजी का बंटवारा माप व सीमांकन कराकर प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे वादी के हिस्से में आई आराजी वदिशा उत्तर की ओर स्थित है में किसी प्रकार की

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें। वादी को काश्त करने से नहीं रोकें। आराजी को कहीं रहन बय नहीं करें और मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

इस प्रकार दावा में वादी ने निवेदन किया कि :-

विवादित आराजी ख0नं0 5757/1-10 किस्म नहरी प्रथम बांके कस्बा बाडी नं0 2 तह0 बाडी का बंटवारा अपने अपने कब्जे के अनुसार जिसमें वादी का हिस्सा बदिशा उत्तर की ओर जो आम रास्ते से लगी हुई चौडाई 60 फीट व लम्बाई 205 फुट है एवं दक्षिण व पूर्व का भाग प्रति0 का है को खाता व लगान पृथक पृथक किये जावे। प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वादी के हिस्से की आराजी में वे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा पैदा नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 सं0 1 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। अतः उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति0 सं0 2 ने न्यायालय में उपस्थित आकर दोनों पक्षों में हुए राजीनामा को प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

तत्पश्चात पटवारी हल्का को राजीनामा के मुताबिक मौके की रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव के प्रस्तुत की। जिस पर पक्षकारान को सुना गया। पक्षकारान द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मेरी राय में वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी मौका रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादी व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार ग्राम कस्बा बाडी नं0 2 तह0 बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. महेश पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी सेड माता विदरपुर रोड बाडी खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
5757/1	0-09	न0प्र0	1.71

2. मुकेश कुमार पुत्र तुलाराम हि0 18/21 कौम कोली निवासी बाई का बाग बाडी व पूरनसिंह पुत्र सुम्मेरा हि0 3/21 कोम जाटव सा0देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
5757/2	1-01	न0प्र0	3.99

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी